आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
09/2/18	**आदेश** अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण--सह--जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक--04.11.2017 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी बालीराम पंजियारा, पिता--स्व0 अवधि पंजियारा, ग्राम--कल्याणपुर, पोस्ट--दुधारी, प्रखंड--बांका, जिला--बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या-- 523110105051701446/2A वर्ष--2017 बालीराम पंजियारा बनाम अंचल अधिकारी, बांका है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, बाका के पत्रांक--1262 दिनांक--12.12.17 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। सुनवाई तिथि को अपीलार्थी उपस्थित है। सुना गया। परिवाद अतिक्रमण हटाने से संबंधित है। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन है कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के दिनांक--18.08.17 के आदेश के आलोक में अंचल अमीन से मापी कराया गया। मामला 10 इंच चौड़ाई अतिक्रमण हटाने से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 05 कड़ी या उससे कम जो भी अतिक्रमण हो वाद नहीं चलाया जा सकता है। अतः अतिक्रमण हटाना विधि संगत नहीं है। प्रतिवेदन के आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का संदर्भ भी प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक--04.11.17 को पारित आदेश का भी अवलोकन किया गया। अतः अंचल अधिकारी, बांका के प्रतिवेदन के आलोक में विचारोपरांत द्वितीय अपील अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित जिला पदाधिकारी, बांका जिला पदाधिकारी --सह-- द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, जिला लोक शिकायत निवारण, बांका।	